न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 127/2014

1 रामसिंह आयु 59 साल पुत्र स्व. श्री नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लामियां तहसीलदांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 5

बनाम

1 देवाराम आयु 58 साल
2 सोनाराम आयु 54 साल
3 सुवालाल आयु 51 साल
4 कानाराम आयु 49 साल
5 रामचन्द्र आयु 46 साल
6 श्रीमती सुखी देवी उर्फ सुखदेवी पत्नी श्री सुवालाल आयु 49 साल समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम लामियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस/वादीगण

7 सुल्तान सिंह आयु 56 साल
8 गोपाल सिंह आयु 53 साल
9 सुरेन्द्र सिंह आयु 46 साल
10 हनुमान सिंह आयु 62 साल पुत्रगण स्व. नारायण सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम लामियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 उप पंजीयक महोदय दांतारामगढ़ जिला सीकर।
12 मोटाराम
13 जीवणराम पुत्र लादूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम लामियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 गोपाल लाल पुत्र श्री दुर्गाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम लामियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
15 पूर्णमल पुत्र सेडूराम जाति जाट निवासीगण ग्राम लामियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
16 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ वाद बउनवानी देवाराम आदि बनाम सुल्तानसिंह आदि वाद संख्या 103/2001
निर्णय दिनांक 14.08.2003

उपस्थिति :
1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मदन लाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 21/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 103/2001 में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 ने एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खसरा नम्बर 177, 178, 176, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188 वाके ग्राम लामिया का पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष को धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आवेदक/अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 5 को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी नॉन अपीलांटगणों द्वारा दिनांक 14.05.2014 को दी जाने से अपीलान्ट ने उक्त पत्रावली की नकल चाहने बाबत उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के यहां अनेक चक्कर लगाये लेकिन उक्त पत्रावली की नकल नहीं दी गई है। अपीलान्ट ने सूचना के अधिकार के तहत भी नकल प्राप्त करनी चाही तो भी नहीं दी गई। तब अपीलान्ट ने दिनांक 19.05.2014 को माननीय जिला कलक्टर सीकर के यहां एक आवेदन उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2003 न्यायायल उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ की नकल नही देने के संबंध में एक आवेदन पेश किया जिस पर कलक्टर महोदय ने एसडीओ दांतारामगढ़ को आदेशित किया तब प्रार्थी को आधी–अधूरी नकले दी गई। तब प्रार्थी को पुनः आवेदन पेश किया तथा एडवोके टहरदेवाराम के वकालतनामें की नकल चाही गई जो नही दी गई। तदुपरांत आवेदक/अपीलान्ट ने पुनः नकल आवेदन पेश कर उक्त एडवोके टहरदेवाराम के वकालतनामें व संपूर्ण पत्रावली की नकल चाही तो अपीलान्ट को दिनांक 07.11.2014 को आधी अधूरी नकले दी गई तथा उक्त एडवोकेट के वकालतनामें की नकल 20–25 दिन मे देने का आश्वासन दिया तथा कहा कि उक्त वकालतनामा किसी अन्य पत्रावली में लग गया है। जिसे ढूंढ कर आपको 04.12.2014 को नकल उपलब्ध करवा दी जायेगी। लेकिन 04.12.2014 को उक्त नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई इसलिये आवेदक को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी इसलिये नहीं हुई चूंकि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब में प्रार्थी के फर्जी हस्ताक्षर किये गये थे तथा राजीनामें 14.03.2001 में भी प्रार्थी के फर्जी हस्ताक्षर किये गये थे तथा प्रार्थी को दिनांक 04.12.2014 तक वकील हदेवाराम की ओर से प्रस्तुत वकालतनामें की नकल भी नहीं दी गई। इसलिये अपील प्रस्तुती में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना प्रार्थनीय है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इसलिये अपील सावधि मान्य फरमाई जावें। अपील प्रस्तुती में हुए विलम्ब को क्षमा फरमाया जाकर अपील अपील सावधि मान्य फरमायी जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांकित 14.08.2003 की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 318 दिनांक 18.10.2023 को तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा तस्दीक कर दिया गया। तदनुसार वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2059–62 में विधिवत अंकित कर दी गई सन 2003 में नामान्तकरण तस्दीक होने के तथा उसके आधार पर संवत 2059 में खातेदारी अंकित होने के बाद दिनांक 14.05.2014 के लम्बे समय तक अपीलान्ट को निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वादग्रस्त कृषि भूमियों पर निर्णय व डिक्री दिनांकित 14.08.2003 के अनुसार मौके पर खातेदारों का कब्जा हो गया था तथा संबंधित खातेदारों ने वहां आवासीय मकानात भी बनाये है। उस समय भी अपीलान्ट की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई। अपीलान्ट ने विलम्ब को क्षमा करने के आवेदन में दिन प्रतिदिन के विलम्ब को एक्सप्लेन नहीं किया है। इसलिए अपीलान्ट को आवेदन निरस्तनीय है। अपील प्रस्तुति के लिए मियाद के आखिरी दिन से अपील प्रस्तुत के दिन तक के सम्पूर्ण समय को एक्सप्लेन करना अनिवार्य होता है। अपीलान्ट ने यहां तक बताने का साहस नही किया है कि उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी कब हुई, प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन कब लगाया एंव प्रमाणित प्रतिलिपि कब प्राप्त हुई। अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है जो दिनांक 14.03.2001 को न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को निर्णय व डिक्री की यथासमय सूचना नहीं होने का अपीलान्ट का कथन स्वतः ही गलत सिद्ध हो जाता है। अपील प्रस्तुति में 11 साल से भी अधिक समय का अप्रत्याशित विलम्ब हुआ है। इस अप्रत्याशित विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण भी अपीलान्ट नहीं दे पाया है। इसलिए भी अपीलान्ट का आवेदन निरस्त होने योग्य है। अतः जवाब आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट का आवेदन अस्वीकार कर अपील को मय खर्चा खारित फरमाने की कृपा करें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1988

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

कलकत्ता पेज 246, एआईआर 1971 कलकत्ता पेज 204, आरएलडब्ल्यू 1995(1) पेज 580 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील अपीलान्ट रामसिंह द्वारा विचारण न्यायालय के वाद संख्या 103/2001 बउनवानी देवाराम आदि बनाम सुल्तान सिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2003 के विरूद्ध 11 साल के असाधारण विलम्ब से दिनांक 05.12.2014 को प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट द्वारा आवेदन धारा 5 में विलंब को दिन प्रतिदिन का कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14.05.2014 को विचाराधीन निर्णय की जानकारी होना एवं दिनांक 04.12.2014 को नकल प्राप्त होने का अंकन किया गया है। अपीलान्ट का यह कथन प्रथम दृष्टया विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट रामसिंह की ओर से दिनांक 07.07.2001 को अधिवक्ता राजेन्द्र सिंह शेखावत, रतन लाल जाट, नानूराम बुडनियां का वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट ने इसके खण्डन में न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है न ही फर्जी वकालतनामा प्रस्तुत करने के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को विचाराधीन प्रकरण की जानकारी नहीं होने का तथ्य मिथ्या प्रकट होता है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर पूर्णतया चश्पा होते है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा तथ्यो को छिपाकर मिथ्या कथन कर धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर